उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

संख्या-7/2016/701/94-1-2016-312(59)/2016

लखनऊ, दिनांक 20 जून, 2016

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट के दिनांक से निम्नलिखित की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं:-

(क) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित कर जनपद-रायबरेली के रजिस्ट्रेशन उप जिला सदर की सीमा

(ख) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को सम्मिलित कर जनपद रायबरेली के रजिस्ट्रेशन उप जिला- महराजगंज की सीमा

अनुसूची

ग्रामों की सूची जिन्हें रजिस्ट्रेशन उप जिला- सदर जनपद रायबरेली से अपवर्जित करते हुए रजिस्ट्रेशन उप जिला- महराजगंज जनपद-रायबरेली में सम्मिलित किया गया:-

क्रमांक	ग्रामों का नाम	वर्तमान रजिस्ट्रेशन उप जिला सदर रायबरेली
1	बावन बुजुर्ग बल्ला	”
2	सारीपुर	”
3	सोथी	”
4	खैरा	”
5	जरैला	”
6	बघई अहलवारपुर	”

राज्यपाल अग्रतर निदेश देतें हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गई या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

अनिल कुमार

प्रमुख सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2016/701(1)/94-1-2016-312(59)/2016 दिनांकः 20 जून, 2016

प्रतिलिपि- हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 20 जून, 2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2016/701(2)/94-1-2016-312(59)/2016 दिनांकः 20 जून, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ0प्र0 कानपुर।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5- महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
7- जिलाधिकारी, रायबरेली।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी रायबरेली।
9- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),पदेन जिला निबन्धक, रायबरेली।
10- उप महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
11- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, रायबरेली।
12- विधायी अनुभाग-1
13- गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan.
Stamp and Registration Anubhag-1,

The Governor is pleased to order the publication of the fallowing English translation of notification no.7/2016/701/94-1-2016-312(59)/2016 dated, 20 June, 2016 for general information.

NOTIFICATION

No.7/2016/701/94-1-2016-312(59)/2016
Lucknow : Dated: 20 June, 2016

In exercise of the power under section 5 of the Registration Act. 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notification issued in this behalf the Governor is pleased to alter with effect from the date of this notification in the Gazette, the limits of:-

(a) registration sub-district **Sadar** of district **Rae Bareli** by excluding the areas of revenue villages given in the Schedule below.
(b registration sub-district **Mahrajganj** in district **Rae Bareli** by including the areas of revenue villages given in the Schedule below.

SCHEDULE

List of villages excluded from registration sub-district **Sadar** of district **Rae Bareli** and included in registration sub-district **Mahrajganj** in district **Rae Bareli.**

Sl.No.	VILLAGES	PRESENT REGISTRATION SUB-DISTRICT SADAR RAE BARELI
1	Bawan Bujurg Balla	”
2	Saripur	”
3	Sothi	”
4	Khaira	”
5	Jaraila	”
6	Baghai Ahalwarpur	”

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdictions in respect of the said areas.

By order,

Anil Kumar
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।